सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

4 श्रावण, 1940 (श०)

संख्या- 722 राँची, गुरुवार, 26 जुलाई, 2018 (ई०)

कार्मिक, प्रशानिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

5 जुलाई, 2018

संख्या-5/आरोप-1-97/2017-919 (HRMS)-- ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-(N)1930, दिनांक 4 जुलाई, 2017 द्वारा श्रीमती मारूति मिंज, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, तमाड़ के विरूद्ध प्रपत्र-'क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया है, जिसमें निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित हैं-

आरोप सं०-1. प्रतिदिन औसतन 100 मानव दिवस के विरूद्ध मात्र 36 मानव दिवस सृजन होना ।

आरोप सं०-2. कुल सक्रिय मजदूर 10829 के विरूद्ध मात्र 6399 मजदूरों (59%) का भुगतान ही DBT के माध्यम से किया गया है ।

आरोप सं०-3. डोभा निर्माण लक्ष्य 1221 के विरूद्ध मात्र 581 पर ही क्रियान्वयन प्रारंभ किया गया है ।

आरोप सं०-4. तमाड़ प्रखण्ड में निर्गत 29132 जॉब कार्ड के विरूद्ध मात्र 12832 जॉब कार्ड (44%) का सत्यापन किया गया है ।

आरोप सं०-5. भारत सरकार द्वारा 15 मार्च तक सभी आंगनबाड़ी केन्द्र भवन को पूर्ण करने का निदेश प्राप्त हुआ, परंतु तमाड़ प्रखण्ड में आंगनबाड़ी केन्द्र का निर्माण दिनांक-19.04.2017 तक पूर्ण नहीं है तथा योजना की प्रगति की काफी धीमी है ।

आरोप सं०-6. लंबित सभी योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कर MIS में close करने का निदेश विभाग द्वारा दिया गया था, परंतु तमाड़ प्रखण्ड में वित्तीय वर्ष 2014-15 एवं उससे पूर्व की 43 वित्तीय वर्ष 2015-16 की 440 तथा वित्तीय वर्ष 2016-17 की 275 योजनाओं को पूर्ण कर close नहीं किया गया है ।

आरोप सं०-7. तमाड़ प्रखण्ड में वित्तीय वर्ष 2016-17 में कुल मजदूरों पर भुगतेय राशि 232.05 लाख के विरूद्ध 120.59 लाख का Delay payment किया गया है, जो कुल भुगतेय राशि का कुल 52 प्रतिशत है ।

आरोप सं०-8. निदेश के बावजूद तमाड़ प्रखण्ड में कुल सृजित परिसम्पत्तियों के विरूद्ध मात्र 71 प्रतिशत परिसम्पत्तियों की Geo-tagging की गयी है ।

2. उक्त आरोपों पर विभागीय पत्रांक-9902, दिनांक 18 सितम्बर, 2017 द्वारा श्रीमती मिंज से स्पष्टीकरण की माँग की गयी, जिसके आलोक में श्रीमती मिंज के पत्रांक-1155(ii), दिनांक 9 अक्टूबर, 2017 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया ।

3. श्रीमती मिंज से प्राप्त स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-11957, दिनांक 7 दिसम्बर, 2017 द्वारा ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड से मंतव्य उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया, जिसके आलोक में ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-(N)622, दिनांक 16 मार्च, 2018 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया । प्राप्त मंतव्य के अनुसार, प्रपत्र- 'क' का गठन करने के समय मनरेगा योजना में उपलब्धि न्यून थी, परन्तु बाद में उनके द्वारा बेहतर प्रयास कर संतोषजनक उपलब्धि प्राप्त की गयी । अतः इनका स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य प्रतीत होता है ।

4. श्रीमती मिंज के विरुद्ध आरोप, इनके स्पष्टीकरण तथा ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा की गयी । समीक्षोपरांत ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के मंतव्य से सहमत होते हुए श्रीमती मारूति मिंज, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, तमाड़, राँची को आरोप मुक्त करते हुए संचिकास्त किया जाता है ।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	MARUTI MINZ 110093181684	श्रीमती मारूति मिंज, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, तमाड़ को ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-(N)1930, दिनांक-04.07.2017 द्वारा प्रपत्र-'क' में गठित आरोपों से मुक्त किया जाता है.

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सतीश कुमार जायसवाल,
सरकार के उप सचिव
जीपीएफ संख्या:ROH/RVP/1007

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 722 -- 50